

मूल वाद में डिक्री

(आदेश-20 के नियम-6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

बड़जलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

याद संख्या- 169/2012

1. भीमा, सुखदेव पिता अजीता गुर्जर निवासी शिवनगर तहसील हुरड़ा
-वादीगण

बनाम

1. मांगी बेवा उदा गुर्जर निवासी शिवनगर तहसील हुरड़ा, कमला पुत्री उदा गुर्जर निवासी शिवनगर हाल सथाना, ईश्वर, शिवराज पिता लादू निवासी बरल द्वितीय तहसील वियजनगर

-प्रतिवादीगण

प्रेषित:-

वादपत्र अन्तर्गत धारा- 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से राजेश कुमार मेहता प्रतिवादी की ओर स मोहम्मद निसार की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 10/06/17 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि दावा वादी स्वीकार किया जाकर मौजा शिवनगर पटवार हल्का गागेडा की आराजी नम्बर 599 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा भूमि के लिए वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है।

और इसके वाद के खर्चे लेखे XXX रु. की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर XXX प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित XXX द्वारा XXX को दी जायें।

यह आज तारीख 10/06/2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वादे के खर्चे
कलक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवार



वादी	रुपये	पैसे	वादी	रुपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	03	00	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	02	00
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	01	00	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	00	00
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	01	00	3. प्लीडर की फीस	00	00
4. रुपये पर लीडर की फीस			4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	5. आदेशिका की तामील		00
6. कमिश्नर की फीस-तलवाना			6. कमिश्नर की फीस		
7. आदेशिका की तामील	02				
8. स्टाम्प					
योग:-	07	00		02	00